मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 25–10–2012 एवं 26–10–2012 को सम्पन्न बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कार्य–कलापों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थिति संलग्न।

2. बरौनी थर्मल पावर स्टेशन एवं मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन की इकाईयों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण (R&M) की प्रगति की समीक्षा की गयी। मेसर्स भेल द्वारा काम धीमी गति से किया जा रहा है और कई बार लक्ष्य को बढ़ाया जाता रहा है। योजना आयोग द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना में ही इसे पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। सितम्बर,2012 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार (CEA) की टीम द्वारा प्रगति की समीक्षा कर यह बताया गया है कि भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य (बी0टी0पी0एस0 के यूनिट संख्या 6 एवं 7 मार्च, 2013 में तथा एम0टी0पी0एस0 के यूनिट संख्या–1 अगस्त, 2012 एवं यूनिट संख्या–2 जनवरी,2013 में) के अनुसार कार्य पूरा नहीं हो पायेगा। सचिव, योजना आयोग को मुख्य सचिव के स्तर से मेसर्स भेल को शीघ्र कार्य पूरा करने के लिए पत्र भेजा जाना है। विद्युत बोर्ड एवं ऊर्जा विभाग द्वारा नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण (R&M) के कार्यों की नियमित समीक्षा की जानी है।

3. काँटी बिजली उत्पादन निगम लि0, मुजफ्फरपुर के अतिरिक्त 2X195 मेगावाट इकाई हेतु भूमि अधिग्रहण तथा भुगतान आदि की स्थिति की समीक्षा की गयी। सितम्बर,2012 के बाद स्थिति में कोई प्रगति नहीं आयी है। Ash Dyke के जमीन के मुआवजे का भुगतान तथा 44 एकड़ गैरमजरूआ जमीन के हस्तानान्तरण की प्रक्रिया लम्बित है। Ash Pipe Corridor तथा Make up Water Pump House के जमीन के मुआवजे का भुगतान भी लम्बित है। मेक अप कॉरीडोर के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा ROU Act के तहत अधिसूचना एवं Resettlement Colony के लिए धारा 4/6 की अधिसूचना शीघ्र जारी की जानी है। जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर को तत्काल भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा के भुगतान संबंधी तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने का निर्देश दिया गया। प्रधान सचिव, राजस्व

एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा त्वरित निष्पादन के लिए विशेष निगरानी रखी जानी है।

4. भूमि अधिग्रहण के मामले में भुगतान की प्रक्रिया के बारे में भी अद्यतन जानकारी दी जानी है।

5. प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को के0बी0यू0एन0एल0 से संबंधित मामलों के निष्पादन में निदेशालय स्तर पर विलम्ब के लिए जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

6. बरौनी थर्मल पावर स्टेशन के अतिरिक्त इकाईयों के लिए सेन्ट्रल बैंक तथा हुडको द्वारा ऋण की स्वीकृति के लिए pursue किया जाना है। अगर आवश्यक हो तो मुख्य सचिव स्तर पर इन वित्तीय संस्थानों के क्षेत्रीय पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की ~~जानी है।~~

7. चौसा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के शेष रैयती जमीन का धारा 7/17 शीघ्र जारी किया जाना है। 11.27 एकड़ सरकारी जमीन का हस्तानान्तरण वित्त विभाग से सहमति प्राप्त कर मंत्रिमंडल के अनुमोदन हेतु प्रोसेस किया जाना है। जिलाधिकारी, बक्सर को निर्देश दिया गया कि बक्सर बिजली कम्पनी के लिए चौसा में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करवायें।

ऊर्जा विभाग द्वारा सतलज जल विद्युत निगम लि0 द्वारा ताप विद्युत घर की स्थापना के लिए प्रस्ताव मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए शीघ्र प्रस्तुत किया जाना है।

8. **कजरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट** : शेष11.35 एकड़ जमीन घोघी राजस्व ग्राम का है। भू–अर्जन विभाग, लखीसराय द्वारा धारा 7/17 की कार्रवाई पूरी की जानी है। 137.65 एकड़ सरकारी जमीन के हस्तानान्तरण का संशोधित प्रस्ताव जिलाधिकारी, लखीसराय द्वारा आयुक्त, मुँगेर को भेजा जा चुका है। जिलाधिकारी, लखीसराय एवं आयुक्त, मुँगेर को निर्देश दिया गया कि शीघ्र लम्बित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करें।

9. **पीरपैंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट** : 11.75 एकड़ जमीन का सेक्सन–4/6 की अधिसूचना के संबंध में शीघ्र कार्रवाई की जानी हैं। 100.51 एकड़

सरकारी जमीन के हस्तानान्तरण का प्रस्ताव अंचल कार्यालय, पीरपैंती में लम्बित है। जिलाधिकारी, भागलपुर द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जानी है।

पीरपैंती में 57.68 एकड़ रेलवे के जमीन का सत्यापन की प्रक्रिया त्वरित की जानी है तथा पूर्व रेलवे, मालदा मंडल को स्मारित कर जमीन का हस्तानान्तरण करवाया जाना है।

10. अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (UMPP), तिलैया की भूमि अधिग्रहण एवं प्रगति के बारे में अद्यतन स्थिति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना है।

11. ए0डी0बी0 की सहायता से सात शहरों की वितरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए कंट्रैक्ट एवार्ड कर दिया गया है। इन सातों शहरों के स्कोप को संबंधित जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाना है। ऐसे कार्य को प्राथमिकता पर कराया जाना है जिससे शहरों के वितरण व्यवस्था में तत्काल सुधार हो। संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा इसके कार्यान्वयन पर सघन निगरानी रखी जानी है।

12. ए0डी0बी0 प्रोजेक्ट के भूमि अधिग्रहण की स्थिति निम्न है:

क) गंगवारा में 132/33 के0वी0 ग्रीड सब–स्टेशन निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की धारा 7/17 की कार्रवाई पूरी हो गयी है। जिलाधिकारी, दरभंगा को जमीन का कब्जा दिलाने की प्रक्रिया त्वरित करने का निर्देश दिया गया।

ख) धनहा में 132/33 के0वी0 ग्रीड सब–स्टेशन निर्माण हेतु 4.72 एकड़ रैयती जमीन जिसका धारा 7/17 की प्रक्रिया पूरी हो गयी है, भुगतान कर जमीन पर कब्जा दिया जाना है। 2.25 एकड़ सरकारी जमीन के हस्तानान्तरण का प्रस्ताव जिलाधिकारी, पश्चिम चम्पारण स्तर पर लम्बित है। जिलाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया त्वरित करने हेतु निर्देश दिया गया।

ग) पुसौली ग्रीड सब–स्टेशन के लिए 7.82 एकड़ सरकारी जमीन के हस्तानान्तरण का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु मंत्रि–परिषद के समक्ष उपस्थापित किया जाना है। 5.75 एकड़ रैयती जमीन के 7/17 का प्रस्ताव जिलाधिकारी, कैमूर के यहाँ लम्बित है। प्रधान सचिव (राजस्व

एवं भूमि सुधार) एवं जिलाधिकारी, कैमूर को शीघ्र निष्पादन के लिए निर्देश दिया गया।

घ) लखीसराय में 132 K.V.Bay के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया त्वरित किये जाने हेतु जिलाधिकारी, लखीसराय को निर्देश दिया गया।

ड़) प्रधान सचिव (राजस्व एवं भूमि सुधार) को शेखपुरा में 132 K:V.Bay के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए धारा 7/17 की प्रक्रिया त्वरित करने का निर्देश दिया गया।

2.11.12

(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक–प्र02/बोर्ड बैठक–24/2009 (खंड–I) 4985 पटना, दिनांक 6/11/12

प्रतिलिपिः–विकास आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/11/12

सरकार के अपर सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।